



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

## दो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भण्डाफोड़, 14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र सहित 03 अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 01.06.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस को अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ. राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण एवम् क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना रेउसा व हरगांव पुलिस टीमों द्वारा कुल दो अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कुल 03 अभियुक्तों 1. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल कय्युम निवासी ग्राम अहमदाबाद गंज थाना तम्बौर जिला सीतापुर 2. सुलफयान पुत्र नसरुल्ला नि0 ग्रा0 ददवारा थाना हरगांव जनपद सीतापुर 3. सालजम खां पुत्र नालसर खां नि0 बरोसा थाना हरगांव जनपद सीतापुर को विभिन्न स्थानों से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगण के कब्जे से मौके से कुल **05 अदद निर्मित शस्त्र, 09 अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 03 अदद जिंदा/खोखा कारतूस एवम् अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत के उपकरण बरामद** हुए है। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त पूर्व में अवैध शस्त्र /हत्या/हत्या का प्रयास आदि जैसे विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहा है, जिनके संबंध में पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

### थाना रेउसा कार्यवाही-

क्षेत्राधिकारी बिसवां श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल कय्युम निवासी ग्राम अहमदाबाद गंज थाना तम्बौर जिला सीतापुर को ग्राम भदमरा से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त के कब्जे से मौके से **01 अदद तमन्चा देशी नाजायज 315 बोर निर्मित, 04 अदद तमन्चा अर्द्धनिर्मित, 02 अदद जिन्दा/ खोखा कारतूस 315 बोर व अवैध शस्त्र बनाने/मरम्मत के उपकरण बरामद** हुए है। उक्त बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 217/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 218/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त पूर्व में अवैध शस्त्र /हत्या/हत्या का प्रयास आदि जैसे विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहा है, जिसके संबंध में करीब आधा दर्जन अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 217/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रेउसा जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 218/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा जनपद सीतापुर

अभियुक्त का नाम/ पता- अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल कय्युम निवासी ग्राम अहमदाबाद गंज थाना तम्बौर जिला सीतापुर

### बरामदगी विवरण-

- 01 अदद तमन्चा देशी नाजायज 315 बोर निर्मित
- 04 अदद तमन्चा अर्द्धनिर्मित
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
- अवैध शस्त्र बनाने/मरम्मत के उपकरण।

### पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार दुबे
2. हे0का0 उदित नारायण
3. का0 निखिल कुमार
4. का0 निपेन्द्र कुमार
5. का0 विश्वजीत सिंह

### आपराधिक इतिहास अपराधी अब्दुल उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 0132/1992 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना तम्बौर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 193/2005 धारा 25(1B) आर्म्स एक्ट थाना तम्बौर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 559/2007 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना तम्बौर सीतापुर
4. मु0अ0सं0 0160/2008 धारा 25(1B) आर्म्स एक्ट थाना तम्बौर सीतापुर

5. मु0अ0सं0 228/2015 धारा 147/148/149/307/504/506/323/336 भादवि व 7 CLA ACT थाना तम्बौर सीतापुर

6. मु0अ0सं0 105/2021 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना तम्बौर सीतापुर।

## थाना हरगांव कार्यवाही-

क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रवीण यादव के नेतृत्व में थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 1.सुलफयान पुत्र नसरुल्ला नि0 ग्रा0 ददवारा थाना हरगांव जनपद सीतापुर 2- सालजम खां पुत्र नालसर खां नि0 बरोसा थाना हरगांव जनपद सीतापुर को परसेहरा शरीफपुर गांव के पास से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगण के कब्जे से मौके से **04 अदद अवैध शस्त्र, 05 अदद अर्द्धनिर्मित तमन्चा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अवैध शस्त्र बनाने/मरम्मत के उपकरण बरामद** हुए हैं। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 291/22 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 291/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना हरगांव सीतापुर।

### अभियुक्तगण का नाम/ पता-

1. सुलफयान पुत्र नसरुल्ला नि0 ग्रा0 ददवारा थाना हरगांव जनपद सीतापुर
2. सालजम खां पुत्र नालसर खां नि0 बरोसा थाना हरगांव जनपद सीतापुर

### बरामदगी विवरण-

- 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर निर्मित
- 03 अदद अवैध देशी बन्दूक 12 बोर निर्मित
- 04 अदद अर्द्धनिर्मित तमन्चा 12 बोर
- 01 अदद अर्द्धनिर्मित तमन्चा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- अवैध शस्त्र बनाने/मरम्मत के उपकरण

पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री उमाकान्त सविता
2. उ०नि० श्री रामदुलार रावत
3. हे०का० सुरेश राठौर
4. का० अवधेश सिंह
5. का० लवकास कुमार
6. का० संजय कुमार





# हरगाँव, जनपद - सीतापुर

